

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

दिनांक 20.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
499	ता.प्र.स. 02 (क्र. 31) दिनांक 20.07.2015 (कुंवर सौरभ सिंह)	कृषि उपज मण्डी समिति कटनी में नियम विरुद्ध मण्डी एवं निराश्रित शुल्क की छूट दिये जाने की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	1. प्रकरण में मण्डी समिति कटनी के पदाधिकारियों एवं सचिव के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। 2. इस प्रकरण में मण्डी समिति कटनी की आगामी बैठक में अनुज्ञप्ति को निलंबित करने की कार्यवाही की जायेगी।		
500	ता.प्र.स. 08 (क्र. 438) दिनांक 20.07.2015 (श्री हर्ष यादव)	सागर जिले में किसानों को बीज वितरण एवं उत्पादन अनुदान के भुगतान में अनियमितता करने वाले संबंधित दोषियों के विरुद्ध निर्धारित समय-सीमा में विभागीय जांच पूर्ण कर कार्यवाही की जाना।	किसानों को भुगतान प्राप्त न होने व अनुदान भुगतान में गड़बड़ी की जांच की जाकर संबंधितों के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है।		
501	ता.प्र.स. 17 (क्र. 13) दिनांक 20.07.2015 (श्री विश्वास सारंग)	जिला धार एवं रतलाम में कृषि उपकरण खरीदी में अनियमितता के दोषियों के विरुद्ध जांच सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 22.10.2009 अनुसार निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण की जाकर कार्यवाही की जाना।	1. संबंधितों से बचाव उत्तर प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर आगामी कार्यवाही का निर्णय लिया जावेगा। 2. जांच प्रक्रियाधीन है।		
502	ता.प्र.स. 22 (क्र. 51) दिनांक 20.07.2015 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	कृषि उपज मण्डी समिति कटनी में माह जनवरी 2014 से माह मई 2015 की अवधि में छापामार कार्यवाही में अनियमितता करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध निर्धारित समय-सीमा में नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	संबंधित कर्मचारी पर कार्यवाही प्रचलन में है।		
503	ता.प्र.स. 25 (क्र. 504) दिनांक 20.07.2015 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)	रतलाम जिले की तहसील पिपलौदा अंतर्गत ग्राम सुखेड़ा में कृषि उप मण्डी स्थापित किया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

दिनांक 20.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
504	परि.अता.प्र.स. 13 (क्र. 206) दिनांक 20.07.2015 (श्री संजय पाठक)	दिनांक 19.02.2015, प्रश्न क्र. 311 एवं दिनांक 18.03.2015 प्रश्न क्रमांक 5113 के संदर्भ में जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
505	परि.अता.प्र.स. 38 (क्र. 492) दिनांक 20.07.2015 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	कृषि उपज मण्डी समिति महिदपुर द्वारा फर्म दिलीप ट्रेडिंग कंपनी महिदपुर के संदिग्ध क्रय-विक्रय संव्यवहार पर पांच गुना मण्डी फीस वसूली की जाना।	फर्म दिलीप कंपनी को जारी नोटिस के प्रतिउत्तर प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर पांच गुना मण्डी फीस वसूली की कार्यवाही की जायेगी।		
506	अता.प्र.स. 14 (क्र. 211) दिनांक 20.07.2015 (श्री संजय पाठक)	श्री नामदेव हेडाऊ एवं जानराव हेडाऊ, सहायक संचालक कृषि के जाति प्रमाण पत्र की छानबीन समिति द्वारा की जा रही जांच की जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	जांच के निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।		
507	अता.प्र.स. 15 (क्र. 212) दिनांक 20.07.2015 (श्री संजय पाठक)	म.प्र.कृषि उद्योग विकास निगम कटनी को प्रदाय अग्रिम का समायोजन एवं दण्ड ब्याज की राशि वसूली एवं नियम विरुद्ध आहरण के दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	1. विशेष आडिट दल का गठन किया गया व जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 2. जांच प्रक्रियाधीन है।		
508	अता.प्र.स. 22 (क्र. 292) दिनांक 20.07.2015 (श्री आरिफ अकील)	प्र.क्र.3794 दिनांक 16.07.2014 के संदर्भ में संस्थित विभागीय जांच समय-सीमा में पूर्ण की जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	1. दिनांक 15.12.2014 द्वारा आरोप पत्र जारी किये जाकर विभागीय जांच संस्थित की गई है। 2. जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।		
509	अता.प्र.स. 36 (क्र. 365) दिनांक 20.07.2015 (श्री निशंक कुमार जैन)	विदिशा जिले की तहसील त्यौदा/बासौदा में दिनांक 07.04.2015 को प्रश्नकर्ता द्वारा निरीक्षण किये जाने के समय पाई अनियमितताओं की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	अनियमितताओं के संबंध में जांच कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

सहकारिता विभाग

दिनांक 20.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
510	ता.प्र.स. 09 (क्र. 510) दिनांक 20.07.2015 (श्री मधु भगत)	कामधेनू गृह निर्माण सहकारी संस्था, भोपाल में की गई अनियमितताओं एवं शिकायत की जांच कर दोषियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	जी हों शिकायत की जांच आदेशित की गई है, जांच उपरांत निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी ।		
511	परि.अता.प्र.स. 19 (क्र. 318) दिनांक 20.07.2015 (श्री जितू पटवारी)	इंदौर स्थित जय भारत सहकारी संस्था मर्यादित में संस्था के कर्मचारी डॉ.श्री जितेन्द्र जैन, प्रबंधक से लेकर भृत्य तक के खातों की जांच में करोड़ों रूपये का टर्न ओवर की जांच एवं दोषियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
512	परि.अता.प्र.स. 34 (क्र. 479) दिनांक 20.07.2015 (श्री बाला बच्चन)	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको में समिति सेवक के पदों पर की गई नियुक्तियों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	प्रदेश की अन्य बैंकों के संबंध में की गई नियुक्तियों का परीक्षण कराया जा रहा है, परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जा सकेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक 20.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
513	ता.प्र.सं.14 (क्र.156) दिनांक 20.07.2015 (श्री कमलेश्वर पटेल)	सीधी जिले में सहायक अध्यापक से अध्यापक एवं अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति की जाना ।	पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
514	ता.प्र.स. 20 (क्र. 196) दिनांक 20.07.2015 (डॉ. गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले के विकासखण्ड रौन एवं लहार में पंचायतों द्वारा बिना कार्य कराये फर्जी भुगतान एवं गुणवत्ताहीन कार्य किये जाने की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब आने पर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।		
515	परि.अता.प्र.स. 7 (क्र. 175) दिनांक 20.07.2015 (श्री नीलेश अवस्थी)	जबलपुर जिले में स्वकराधान योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों को प्रदत्त राशि के दुरुपयोग की शिकायतों की जांच एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	1. जी हाँ। जिला स्तर से जांच हेतु समिति गठित की जाकर कार्यवाही जारी है। 2. समिति द्वारा जांच की कार्यवाही जारी है। समिति से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जांच निष्कर्ष के आधार पर ही कौन-कौन दोषी पाये गये एवं उन पर की गई कार्यवाही से पृथक से अवगत कराया जा सकेगा।		
516	परि.अता.प्र.स. 32 (क्र. 473) दिनांक 20.07.2015 (श्री राजेश सोनकर)	इंदौर जिले की सांवेर विधान सभा क्षेत्र सीयूपीएल अंतर्गत प्रस्तावित सड़कों का डीपीआर शीघ्र तैयार कराकर स्वीकृति प्रदान की जाना ।	सीयूपीएल के अंतर्गत प्रस्तावित सड़कों के डीपीआर तैयार कर स्वीकृत हेतु कार्यवाही प्रचलन में है ।		
517	अता.प्र.स. 12 (क्र. 201) दिनांक 20.07.2015 (डॉ. गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले के लहार विकासखण्ड की ग्राम पंचायत सोंसरा ग्राम कुम्हरोल के पास नदी पर स्वीकृत स्टाप डेम के अधूरे कार्य को निश्चित समय-सीमा में पूर्ण किया जाना ।	शेष कार्य हेतु अन्य एजेंसी निर्धारित कर कार्य पूर्ण कराया जावेगा।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक 20.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
518	अता.प्र.स. 40 (क्र. 390) दिनांक 20.07.2015 (श्री आर.डी. प्रजापति)	छतरपुर जिले की चंदला विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कतिपय ग्राम पंचायतों द्वारा बिना शौचालय निर्माण के राशि आहरण किये जाने की जांच एवं आहरित राशि की वसूली की जाना।	राशि वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है।		
519	अता.प्र.स. 60 (क्र. 494) दिनांक 20.07.2015 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	उज्जैन जिले की विधान सभा क्षेत्र महिदपुर अंतर्गत अपूर्ण निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाना।	अपूर्ण कार्य वर्ष 2015 अंत तक पूर्ण कर लिये जावेंगे।		
520	अता.प्र.स. 73 (क्र. 557) दिनांक 20.07.2015 (श्रीमती शकुन्तला खटीक)	शिवपुरी जिले की जनपद पंचायत नरवर में समग्र स्वच्छता/मर्यादा अभियान अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए आहरित राशि से शौचालय निर्माण नहीं किये जाने पर आहरित राशि की वसूली की जाना।	शेष राशि की वसूली की कार्यवाही प्रचलित है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण विभाग

दिनांक 20.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521	ता.प्र.सं.11 (क्र.71) दिनांक 20.07.2015 (श्री विष्णु खत्री)	भोपाल जिले की बैरसिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बढ़ाया जाना।	सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जा रही है।		
522	परि.अता.प्र.स. 1 (क्र. 6) दिनांक 20.07.2015 (श्रीमती सरस्वती सिंह)	सिंगरौली जिले के विकासखण्ड चितरंगी में योजना अंतर्गत दोहरीकरण व फर्जी कूपनों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।		
523	परि.अता.प्र.स. 9 (क्र. 183) दिनांक 20.07.2015 (कुंवर सौरभ सिंह)	कटनी जिले में जिला राइस मिलर्स द्वारा घटिया अमानक स्तर का अमानक चावल नागरिक आपूर्ति कटनी में जमा कराये जाने की जांच प्रश्नकर्ता द्वारा की गई शिकायत के परिपेक्ष्य में की जाकर दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	दिनांक 15.06.2015 एवं 16.06.2015 द्वारा प्रेषित शिकायत की जांच कराई जा रही है।		
524	अता.प्र.स. 19 (क्र. 226) दिनांक 20.07.2015 (श्री दिनेश राय (मुनमुन))	सिवनी जिले के बरघाट एवं लखनादौन नगरीय निकाय में नियम विरुद्ध एक संस्था द्वारा उचित मूल्य की दो दुकानें संचालित किये जाने की जांच एवं म.प्र.सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 1950 के तहत कार्यवाही की जाना।	सक्षम अधिकारी द्वारा हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।		